

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 1 (144)एम.ई./गुप-1/87

जयपुर, दिनांक 28-04-2010

:: आदेश ::

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24-ए (8) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. मेघश्याम शर्मा, वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को सहायक आचार्य, फिजियोलोजी के पद पर वर्ष 2009-10 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

इस पदोन्नति पर डॉ. शर्मा को मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, फिजियोलोजी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।


आज्ञा से,

80/

(छाया भटनागर)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/उदयपुर।
7. डॉ. मेघश्याम शर्मा, वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

  
28/4/10  
शासन सहायक सचिव  
चिकित्सा शिक्षा विभाग (पुनः) विभाग  
शासन सहायक सचिव, जोधपुर